

विचार



दैनिक जागरण

सफलता एक पड़ाव नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है

सरकार के सौ दिन

अपनी सरकार के सौ दिन पूरे होने पर रोहतक में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान लिए गए बड़े फैंसलों का उल्लेख करते हुए जो दावे किए उनसे एक बड़ी हद तक सहमत हुआ जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि बीते सौ दिनों में सरकार ने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए जिनकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। इन फैसलों में प्रमुख हैं तीन तलाक़ को डंडनीय अपराध बनाने का कानून निर्मित करना, आतंकवाद निरोधक कानून को प्रभावी बनाना और जम्मू-कश्मीर को भेदभाव भरे अनुच्छेद 370 से मुक्ति दिलाना। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का मोदी सरकार का फैसला इसलिए ऐतिहासिक है, क्योंकि कुछ समय पहले तक यह सोचना भी मुश्किल था कि कोई सरकार ऐसा साहसिक कदम उठा सकती है। मोदी सरकार ने न केवल सौ दिनों के अंदर अनुच्छेद 370 और साथ ही 35-ए हटाने का फैसला किया, बल्कि जम्मू-कश्मीर का नए सिरे से गठन करते हुए लद्दाख़ को अलग केंद्रशासित प्रदेश भी बनाया। नि:संदेह इसे भी एक उपलब्धि कहा जाएगा कि सरकार इस फैसले से उपजे हालात को सही तरह से संभालने में सक्षम हुई। इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय रहा कि वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह समझाने में सफल रही कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और भारत-पाकिस्तान के बीच किसी अन्य देश को कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं।

मोदी सरकार की ओर से बीते सौ दिन में लिए गए बड़े फैसलों में बैंकों के विलय को भी एक खास फैसले के तौर पर गिनाया जा रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह फैसला जिस दिन लिया गया उसी दिन आर्थिक विकास दर में गिरावट पर मुहर लगी। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी की पांच प्रतिशत दर ने मंदी गहराने की ओर भी संकेत किया। आज जब सरकार सौ दिन की अपनी उपलब्धियों का उल्लेख कर रही है तब उसे इसका अहसास होना ही चाहिए कि मंदी के माहौल को दूर करना एक बड़ी चुनौती है। कायदे से शासन की दूसरी पारी की शुरुआत करते ही इस चुनौती का सामना करने के लिए कम्पम कसी जानी चाहिए थी। यह मानने के अच्छे-बुरे कारण हैं कि पहले दिन से ही अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हर संभव प्रयास नहीं किए गए और इसी कारण सरकार को आम बजट के कुछ प्रावधानों को वापस लेना पड़ा। यह सही है कि मोदी सरकार ने पिछले कुछ दिनों में आर्थिक माहौल को सुधारने के लिए कई कदम उठाने के साथ ये संकेत दिए हैं कि वह आगे भी ऐसा करती रहेगी, लेकिन उसे यह समझना होगा कि हालात बदलने से ही बात बनेगी।

डेंगू का कहर

बंगाल में, खासकर कोलकाता, उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना और हावड़ा जिलों में हर वर्ष बारिश के मौसम में डेंगू कहर बनकर लोगों पर टूटता रह है। पिछले दो दिनों में डेंगू से कई जाने जा चुकी हैं। राज्य की मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी ने भी स्वीकार किया है कि सूबे में इस साल अब तक डेंगू से 17 लोगों की मौत हो चुकी है और वेक्टर (मच्छर) जनित इस बीमारी से करीब 10,500 लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी दलों से डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने को आगे आने का आग्रह करते हुए कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा से लगे जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि डेंगू की समस्या से निपटने में हम सभी को सकारात्मक भूमिका निभाने की आवश्यकता है। इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि डेंगू के वायरस ज्यादातर बांग्लादेश से राज्य में आने वाले लोगों से फैल रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह इस मुद्दे पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात करेंगी तो जवाब में ममता ने कहा कि केवल विदेश मंत्रालय ही ऐसा करने के लिए अधिकृत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने के लिए करीब तीन करोड़ मछलियों को जलाशयों में छोड़ा है। वेक्टर जनित बीमारी पर काबू पाने के लिए बायो-स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि हर वर्ष डेंगू को लेकर हाहकार मचता है। इसपर खूब राजनीतिक गेटियां भी सेंकी जाती हैं, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है। शुरुू है कि इस वर्ष कोलकाता एवं आसपास के जिलों में बारिश विलंब से शुरू हुई है, नतीं तो स्थिति और भयावह हो जाती। जून से लेकर अगस्त के दूसरे सप्ताह तक कोलकाता एवं आसपास के जिलों में उतनी बारिश नहीं हुई, जितनी यहाँ होती है। इसके चलते बहुत हद तक डेंगू से लोग बच पा थें लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई, उसके बाद पिछले दो दिनों में दो लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बंगाल से लगे सीमावर्ती जिलों में डेंगू का सबसे अधिक प्रभाव है क्योंकि बांग्लादेश में डेंगू फैला है, जिससे बंगाल भी प्रभावित हो रहा है। मालदा, मुर्शिदाबाद से लेकर अन्य जिलों में तुलनात्मक रूप से डेंगू के उतने मामले क्यों नहीं सामने आए, जितने उत्तर 24 परगना जिले में आ रहे हैं? यह एक अहम सवाल है और इसपर ध्यान देने की जरूरत है।

कैसे बने कुपोषण मुक्त भारत

अनीश कुमार

ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व भर में 15 करोड़ से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। भारत में 4 करोड़ 66 लाख बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं, यह संख्या दुनिया भर में सर्वाधिक है। इस मामले में नाइजीरिया और पड़ोसी देश पाकिस्तान 1.39 करोड़ और 1.7 करोड़ के साथ क्रमशः दूसरे एवं तीसरे पायदान पर हैं। भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ कुपोषण का स्तर व्यापक है। कुपोषण का कारण भोज्य पदार्थ की पर्याप्त पहुंच ना हो पाना ही नहीं है, बल्कि सही मायनों में आहार में पोषक तत्वों की कमी होना है। ये पोषक तत्व ही हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का माध्यम हैं। जब आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते तब व्यक्ति अल्पपोषण से पीड़ित हो जाता है। परिणामस्वरूप व्यक्ति की उम्र के हिसाब से ऊंचाई और वजन कम होने लगता है। और जब इन पोषक तत्वों की शरीर में अधिकता हो जाती है तो अतिपोषण के रूप में व्यक्ति को मोटापा घेरने लगता है, जो कई

भारत में भारी गरीबी होने के कारण लोगों को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी युक्त भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाती है

दूसरी बीमारियों का कारण बनता है।

भारत के बच्चों में सर्वाधिक कुपोषण का कारण लड़कियों की कम उम्र में शादी होना है। देश में आज भी कानून मौजूद होने के बावजूद 47 फीसद लड़कियों की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है। इस कारण नाबालिग लड़कियों की कोख से जन्म लेने वाले अधिकतर बच्चे अविकसित एवं कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे देश में लड़कियों से होने वाले भेदभाव के चलते उनकी अधिकतर बच्चे अविकसित एवं कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इसमें अलावा हमारे देश में लड़कियों से होने वाले भेदभाव के चलते उनकी संहरा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना लड़के की संहरा पर दिया जाता है। इस वजह से लड़कियों को पर्याप्त मात्रा में वे सभी पोषक तत्व मिल नहीं पाते जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर सके। भारत में आज भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने को विवश हैं। जाहिर है कि इस स्थिति

में इन लोगों को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी युक्त भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। वहीं जन्म के समय शिशु के लिए मां का दूध उत्तम एवं अनिवार्य आहार होने के बाद भी देश में केवल 26 प्रतिशत नवजात शिशु ही मां का स्तनपात्र नहीं हैं।नवजात के लिए पोष्टिक एवं प्रतिरक्षा मूल्य के लिए आवश्यक मां का दूध उन्हें नहीं मिलने से वे कुपोषित हो जाते हैं। इस तरह जान की कमी के कारण बच्चों का लालन-पालन बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है।

कुपोषण से निपटने लिए हेरों योजनाएं चलाए जाने के बावजूद यदि देश में इतने बच्चे कुपोषित हैं तो इसकी वजह कहीं ना कहीं नीतियों का सही क्रियान्वयन नहीं होना भी है। नि:संदेह देश में कुपोषण को लेकर जागरूकता की कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए कुपोषित बच्चों की पहचान की जानी चाहिए, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, उन्हें अच्छी तरह से कुपोषण के प्रति एवं उसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। इसके लिए हमारा मकसद 'पोलियो मुक्त भारत' की भांति 'कुपोषण मुक्त भारत' का होना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)



मनीष तिवारी

जब भी न्यायिक स्वतंत्रता खतरे में होती

है तो उसके बाद उपद्रव, अशांति और

अराजकता की स्थिति बनती जाती है। ये

लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं होते

कोई लोकतंत्र कितना सशक्त अथवा कितना दुर्बल होता है, यह उसके संस्थाओं की स्थिति पर निर्भर करता है। जब लोकतंत्र का पराभव शुरू होता है तब न्यायिक तंत्र उसकी सबसे पहली भेंट चढ़ता है। इतिहास पर नजर डालें तो ये बातें सही मालूम पड़ेंगी। जब भी न्यायिक स्वतंत्रता खतरे में होती है तो उसके बाद उपद्रव, अशांति और अराजकता की स्थिति बनती जाती है। न्यायिक तंत्र की नाकामी के ये सभी स्वाभाविक परिणाम होते हैं।

किताबों, वृत्तचित्रों, फिल्मों और तमाम विद्वत शोध अनुसंधानों के रूप में 1933 से 1945 के बीच जर्मनी में आर्जी शासन के तमाम पहलू उजागर हुए हैं। हालांकि उस दौर में इस पहलू को अमूमन अनदेखा कर दिया गया कि तब न्यायिक तंत्र चरणबद्ध ढंग से कमजोर गया। वर्ष 1933 में सत्ता में नازیजनों के दबदबे के शुरुआती दौर से पहले एडोलफ हिटलर न्यायपालिका के खिलाफ बहुत जहर नहीं उगलता था। ऐसा इसलिए, क्योंकि जर्मन न्यायिक तंत्र का स्वरूप संघीय होने के साथ-साथ उसकी जड़ें स्वायत्त न्यायपालिका के पारंपरिक पाश्चात्य कानूनी ढांचे में जुड़ी थीं। इस तथ्य को नहीं झुठलाया जा सकता कि न्यायिक तंत्र का यह मजबूत ढांचा नازیजनों को खटकता था। हिटलर के चांसलर बनने के तीन हफ्तों के भीतर ही स्थिति स्पष्ट होने लगी जिस मामले को इरिट्टाग फायर केस के नाम

से जाना जाता है। हिटलर को उम्मीद थी कि न्यायाधीश इस मामले में कम्युनिस्टों की बड़ी साजिश देखेंगे, लेकिन न्यायाधीश ने केवल एक कम्युनिस्ट को ही दोषी ठहराया। कुपित हिटलर ने अपने प्राधिकार का फायदा उठाते हुए इस मामले के बाद अपना खुद का न्यायिक तंत्र बना लिया। यह जर्मनी के अदालती तंत्र के अनुक्रम ढांचे और यहाँ तक कि जर्मन कानूनी ढांचे के दायरे से बाहर था। इस तरह नازیजों ने ज्यॉङ्गसिरेटोफ के रूप में विशेष अदालतें बनाईं।

इन अदालतों के अधिकार भी असीमित थे। ऐसा कोई भी अपराध जो नازیजों को राजनीतिक रूप से खटके, उसका फैसला वहीं होता। इसका भयानक स्वरूप 1934 में फॉर्क्सगेसिरेटोफ यानी जन अदालतों के रूप में सामने आया। ये अदालतें देशद्रोह के कथित मामलों की सुनवाई करती थीं। इसके साथ जर्मन न्यायिक तंत्र ने दम तोड़ दिया। हालात की भयावहता का अंदाजा 26 अप्रैल, 1942 को राइस्टाग में हिटलर द्वारा न्यायपालिका को संबंधन में जाहिर होता है। तब हिटलर ने कहा था, " मैं जर्मन विधि पेशेवरों से अपेक्षा करता हूँ कि वे यह बात समझते हैं कि देश उनसे नहीं है, बल्कि देश है तो वे हैं। अब से मैं इन मामलों में दखल ढूंगा और उन न्यायाधीशों को हटाऊंगा जो वक्त की जरूरत को नहीं समझेंगे।"

तब नाजी जर्मनी में न्यायाधीशों को निर्देश दिया गया कि यदि नाजी पार्टी और कानून के बीच कोई टकराव हो तो उसमें नाजी पार्टी के

सबक सिखाने वाला अभियान

हमारा सबसे करीबी खगोलीय पड़ोसी चांद ही है। ब्रह्मांडीय खोज की हमारी यात्रा में यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है। इस नजरिये से देखें तो शुक्रवार यानी 6 सितंबर, 2019 की रात रोबोटिक लैंडर से संपर्क टूट जाने पर इतिहास रचने से महज दो कदम दूर रह गए चंद्रयान-2 की आंशिक नाकामी इसरो और हमारे देश के लिए एक तात्कालिक झटका है। अगर चंद्रयान के ऑर्बिटर से अलग हुए लैंडर विक्रम की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाती तो भारत यह उपलब्धि पाने वाला पहला देश बन जाता, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर अब तक किसी देश का कोई यान, लैंडर या रोवर नहीं पहुंचा है। बेशक बीते 11 वर्षों की मेहनत और करीब 950 करोड़ रुपये की लागत से बने चंद्रयान-2 की 5 फीसद नाकामी से मायूसी का आलम है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसरो और इस संगठन के मुखिया के. सिवन को मिली सात्वना इसका साफ संकेत है कि हमारे अंतरिक्ष अभियानों में कोई अड़चन नहीं आने वाली है। बावजूद गगनयान से तीन भारतीयों को स्पेस में भेजने की हो, नया मंगल मिशन रवाना करने की हो या पूर्व के करीबी अध्ययन के लिए यात्रे के प्रक्षेपण की हो, इन सारे मिशनों को सस्कारा का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा।

सफलता-असफलता के तराजू पर चंद्रयान-2 को तौलना चाहें तो कह सकते हैं कि यह मिशन अपने अंजाम तक पहुंचने में नाकाम रहा। विक्रम लैंडर की चंद्र सतह पर सफल लैंडिंग के बाद उससे निकलने वाले रोवर प्रज्ञान से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में वे जानकारियां हमें मिल सकती थीं, जो चांद को भावी दूरस्थ स्पेस मिशनों के पड़ाव के रूप में इस्तेमाल और वहां पानी समेत अन्य उपयोगी खनिजों की मौजूदगी का कोई संकेत हमें देंतीं। हालांकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर एक साल तक कुछ वैसी ही सूचनाएं और तस्वीरें हमें भेज सकता है, जैसे कभी चंद्रयान-1 ने भेजी थी और जिनसे चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति के पुष्टीकरण मिले थे। हमें यह मानने में गुराज नहीं होना चाहिए कि चंद्रमा पर उतरकर वहां प्रयोग कराना ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर अभी भी यह अभियान जिस अहम पड़ाव तक पहुंचा है, उसके भी कुछ कम मायने नहीं हैं।

इस रहे कि 22 जुलाई, 2019 को चंद्रयान के प्रक्षेपण से पहले इसकी राह में कई मुश्किलें भी आईं। एक अहम बाधा इसी वर्ष 15 जुलाई को तब आई जब श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने से एेन पहले चंद्रयान-2 को लेकर जा रहे ‘बाहुबली’ रॉकेट जीएसएलवी मार्क-3 का प्रक्षेपण रोक



दिया गया। दावा किया गया कि इस रॉकेट के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन में प्रेशर लीक हो रह था। लांच के लिए जितना दबाव होना चाहिए था, वह बन नहीं पा रहा था, बल्कि लगातार घट रह था। ऐसे में मिशन टालने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा था। थोड़ा पीछे लौटें तो इसरो के खाने में दर्ज कुइर और नाकामियां नजर आती हैं। जैसे 29 मार्च, 2018 को स्पेस में छोड़े गए उपग्रह जीसेट-6ए का पावर सिस्टम फेल हो गया था, जिससे खुद को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के अंतिम चरण में पहुंचे उस उपग्रह का इसरो से संपर्क टूट गया था। उससे पहले वर्ष 2017 में पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लांच व्हीकल का प्रक्षेपण असफल हो गया था। बेशक नाकामियों का इधर एक सिलसिला बना है। एक के बाद एक लगातार सफल प्रक्षेपणों के बल पर इसरो जिस हौसले से काम करता रहा है, ये असफलताएं उसके मनोबल पर असर डालने वाली साबित हो सकती हैं और स्वालिटी कंट्रोल के उसके दावे को संदिग्ध बना सकती हैं। चंद्रयान-2 के लैंडर की नाकामी के बाद इसरो अध्यक्ष के. सिवन की हाताशा इसे जाहिर करती है, लेकिन कहना होगा कि दुनिया का कोई देश इससे बचा नहीं है।

तथ्य बताते हैं कि बीते 60 वर्षों में जबसे चंद्रमा को छूने की होड़ पैदा हुई है, अमेरिका, रूस, चीन, जापान,

इजरायल, यूरोपीय यूनियन के सौ से ज्यादा अभियानों में से 40 फीसद नाकाम रहे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के आंकड़े के मुताबिक छह दशकों में 109 चंद्र अभियान भेजे गए, जिनमें से 61 नाकाम और 48 कामयाब रहे। यही नहीं, दुनिया भर के 50 फीसद से भी कम मिशन हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब रहे हैं। फरवरी 2018 में शुरू किया गया इजरायल का चंद्र मिशन भी इस साल अप्रैल में नष्ट हो गया था। अमेरिका को भी इसमें कई असफलताएं झेलनी पड़ी हैं। वर्ष 1958 में उसके पहले चंद्र मिशन को योजना नाकाम हो गई थी, क्योंकि रॉकेट पायनिवर का लांच असफल रह था। इसी तरह रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) को लुना-1 के रूप में चंद्र मिशन की सफलता उससे पिछले छह मिशनों की नाकामी के बाद मिली थी।

ऐसी स्थिति में देखें तो चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर का सही-सलामत होना और काम करते रहना भी काफी महत्वपूर्ण है। चंद्रमा पर पानी की खोज का जो काम इस मिशन से किया जाना था, वह मुख्य रूप से ऑर्बिटर के ही जिम्मे है।लिहाजा इससे मिलने वाले डाटा से इसरो को कई अहम और जरूरी सूचनाएं अवश्य मिलेंगी। चांद की सतह पर जाकर वहां की मिट्टी और चट्टानों का विश्लेषण अब भले न हो सके, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से चांद की सतह की सेल्फियां अब भले न आ सकें, लेकिन नूनू मॉिंगण का काम चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर बखूबी करता रह सकता है। ऑर्बिटर में कई कौशरी बाहरी परिधि का अध्ययन करने के लिए आठ उपकरण मौजूद हैं। ये उपकरण कई अहम सूचनाएं इसरो को उपलब्ध कराएंगे। यही नहीं, अगर लैंडर-रोवर के सही-सलामत होने की कोई स्थिति बनी और उनसे भविष्य में संपर्क बन सका तो ऑर्बिटर के जरिये चंद्र-सतह के डाटा और तस्वीरें मिलने की भी सूरत बन सकती हैं। बहरहाल यह स्पष्ट है कि चंद्रयान को आंशिक नाकामी का जो कुछ असर होगा, वह बहुत क्षीण होगा और इससे इसरो की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी। पूरी दुनिया समझती है कि अंतरिक्ष में यान-उपग्रह छोड़ना और उन्हें किसी कक्षा में स्थापित करना या खगोलीय पिंडों पर उतारना अत्यधिक खर्चिखम वाला काम है। ऐसे में चंद्रयान-2 की 95 प्रतिशत कामयाबी हमारे लिए बड़ी राहत और उत्साह बढ़ाने वाली बात है। हमें इसका जश्न मनाना चाहिए।

(लेखक संस्था एफआइएस ग्लोबल से संबद्ध हैं)

response@jagran.com



अबधेश राजपूत

रुख को ही तरजीह दी जाए। दिलचस्प बात यह है कि नाजी जर्मनी में न्यायाधीश तबका सबसे कम प्रताड़ित समूहों में रहा। शायद ही किसी को यातना शिविरों में भेजा गया होगा। उनकी सहमति भी स्वैच्छिक और व्यवस्था के समक्ष दंडवत होने जैसी थी। कानूनी मुहर के इस्तेमाल से नाजी अत्याचारों को वैधता प्रदान करना अपवाद नहीं, बल्कि चलन बन गया था।

इससे पहले 1920 के दशक में इटली में बेनितो मुसोलिनी ने इस धारणा को स्थापित किया कि, ‘फासीवाद से नैतिक राज्य स्वयं में एक आध्यात्मिक गठित के प्रतिनिधि है। चूंकि राष्ट्र के राजनीतिक, विधिक एवं आर्थिक संगठन साकार रूप हैं और ऐसे संगठन अपनी उत्पत्ति एवं विकास में निश्चित रूप से एक वैचारिक पहलू के प्रतिनिधि होने चाहिए।’ मुसोलिनी ने अधिनायकवादी राज्य की अवधारणा पेश कर उसे मूर्त रूप दिया। मुसोलिनी के अनैतिक वर्चस्व वाले दौर में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसी तीन शक्तियां एक ही संस्था में समाहित हो गईं। मुसोलिनी ने एक अनैतिक राज्य बनाया जहां फासीवाद के समक्ष कानून के

क्रियेव की हत्या का भी उन्हें दोषी ठहराया गया। इसके नौ दिन बाद 24 अगस्त को ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने सभी आरोपियों को मौत की सजा के साथ ही उनकी संपत्ति जब्त करने का फैसला सुनाया। इसके चौबीस घंटे से भी कम अवधि में सजायापत्ता लोगों की दया याचिका खारिज करने के साथ ही उन्हें सजा भी दे दी गई। एक कथित आतंकी साजिश के खुलासे के महज एक पखवाड़े के भीतर ही न्यायिक ढकोसले के बाद 16 लोगों को निर्ममतापूर्वक मार डाल गया। उनमें रूसी क्रांति और अक्टूबर क्रांति में शामिल दिग्गजों के नाम भी थे। फैंसले में यह निर्देश भी था कि लियोन ट्रोट्स्की और उनके बेटे एलएल सेदेव को भी उन्हीं आरोपों के मामले में पेशी की जाए। दोनों ‘पिता और पुत्र’ स्टालिन की आंखों के कांटे थे।

इसके सड़सठ साल बाद सितंबर 2013 में चिली की नेशनल एसोसिएशन ऑफ जूडिशियल मैजिस्ट्रेट ने बयान जारी कर पिनोशे की तानाशाही के पीड़ितों से माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें ‘अपने दायित्वों का गलत तरीके से निर्वहन करने के लिए’ क्षमा करें। उसमें यह स्विकारोक्ति भी थी कि हमारी अदालतों ने हजारों शिकायतों को खारिज कर दिया। सरकारी एजेंटों के आपराधिक कृत्यों की जांच से लगातार इन्कार और यातना केंद्रों की गतिविधियों की पड़ताल से हिचक ने नि:संदेह इस दौर में मानव अधिकारों का पीड़ादायक असंतुलन पैदा किया। इस पाप से मुक्ति की मनुहार करते हुए मैजिस्ट्रेटों ने पिनोशे के 17 वर्षों के शासन के दौरान सुप्रीम कोर्ट से उसकी भूमिका को लेकर भी जवाब तलब किया।

जॉन फिल्पाॅट कुर्रन ने कहा भी है कि ईश्वर ने शाश्वत जागरूकता की शर्त पर ही मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान की है।

(लेखक कांग्रेस के लोकसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)

response@jagran.com



ऊर्जा

सच्ची भक्ति

नारद भक्ति-सूत्र में परमात्मा के प्रति परम प्रेम को भक्ति कहा गया है। भक्ति मुक्ति का द्वार है। भक्ति आत्मा का आहार है, हृदय की पुष्कर है। लोक से परलोक तक पहुंचने का मार्ग है। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। हमें ईश्वर से कोई शर्त या मांग नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार अग्नि के पास जाकर शीत की निवृत्ति तथा उष्णता का अनुभव होता है, उसी प्रकार प्रभु के पास पहुंचकर सच्चे भक्त को दुख की निवृत्ति तथा आनंद की उपलब्धि होती है। परमेश्वर के समीप होने से सब दोष-दुख छूटकर परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के सद्गुण जीवात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव पवित्र हो जाते हैं।

एक भक्त ईश्वर से प्रेम रखता है। उस प्रेम में कोई शर्त नहीं होती है। उसके प्रेम में उलकटा होती है। भक्ति मीराबाई, दयाबाई, सहजोबाई और कर्माबाई की तरह हो। भक्ति प्रह्लाद, पुंढरी और धनूना जाट की तरह हो। जैसे श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम अनन्य था। भक्ति स्वरूप प्रेम में एक तड़प थी, एक प्यास थी। हर समय ईश्वर के प्रति उनका स्मरण जारी रहता था। सोने में, जाग्रत अवस्था में, कार्य में, घर में, भीोजन के दौरान, टहलने के दौरान भक्त ईश्वर के प्रति ही सोचता है। यह एक जुनून है और यह जुनून ईश्वर को भक्त से बांधे रखता है। भक्त होने का मतलब प्रशंसक होना नहीं है। भक्त तो सभी कार्यों से परे होता है। भक्ति वह है जो आपको उस परमात्मा के पास आसानी से ले जाती है। जिसे पाने के लिए न जाने कितने योगी-यति, ऋषि-मुनि, सिद्ध-साधक, संत-महात्मा वर्षों तक कटिन तपस्या और साधना करते हैं।

महामंडलेश्वर प्रज्ञानानंद गिरि

कोई समय सीमा नहीं होती। तब तक पीढ़ियां बदल जाती हैं और स्मृतियां एवं मूल्य भी। चिदंबरम के मामले में तो आने वाला समय ही बताएगा कि इसमें क्या होता है।

शैलेंद्र सक्सेना, नई दिल्ली

भारत से सीखे पाक

भारत के आंतरिक मामले को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की किरकिरी होने का सिलसिला जारी है। कश्मीर पर पाकिस्तान के दुष्प्रचार को विश्व विरादरी ने गंभीरता से नहीं लिया। इसका सबसे बड़ा कारण कुशल भारतीय नेतृत्व का होना है। मोदी को संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और रूस द्वारा दिया गया सर्वोच्च सम्मान हमारी संस्कृति, सोच, शांति, प्रगति एवं कुशल नेतृत्व का सम्मान है। भारत की निरंतर बढ़ती अर्थव्यवस्था से पाकिस्तान को सीख लेने की आवश्यकता है। हमारे पड़ोसी मुल्क को युद्ध की रट छोड़कर अपने देश में न्याय लगीं, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी और आतंकवाद से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। पाकिस्तान को भारत से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है।

हितेंद्र देवड़ा, चिल्ला गांव

इस संतंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकव्यक्त आसक्ति है। (आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
 दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
 बड़ी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
 ई-मेल- mailbox@jagran.com

^[1] संस्थापक-रव्य. पूर्णचंद्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-रव्य.नरेंद्र मोहन.संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए- नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा 210- 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी *

^[2] दूधपान : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित सम्मत समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी.-एच के अनंतमित्र उत्तरदायी। सम्मत विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होगा। हवाई शुल्क अतिरिक्त।